कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक–2392/बुलन्दशहर/10849/2015, दिनांक, लखनऊ, मई 24, 2017

सेवा में,

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार,
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज,
लखनऊ।

विषय : बुलन्दशहर में पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निर्माण हेतु इस्माइलपुर बुढ़ैना की 0.7957 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 383 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/07/92/2016/एफसी/576, दि0 21.03.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा प्रकरण में कतिपय शर्तो के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी।

उक्त के क्रम में प्रभागीय निदेशक, बुलन्दशहर के पत्रांक–3487/14–1, दि0 09.05.2017 द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। अतः उक्त अनुपालन आख्या की संलग्नक सहित एक प्रति एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक–2392/ ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।

2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग, बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित कि भविष्य में अनुपालन अपने वन संरक्षक के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

3– मुख्य परियोजना प्रबन्धक, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कार्पो0 आफ इंडिया लि0, तृतीय तल, श्री बाला काम्पलेक्स व्यासपुरी, बाईपास रोड, मेरठ।

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।